If Departmental Promotion Committee exists what is its coposition	Circumstances in which Union Public Service Cmmission is to be consulted in making recruitment
1	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— Supertime Grade I/II—Chairman. Head of the Department—Member. Deputy Medical Superitendent—Member. Chief Administrative Officer—Member.	Not applicable.

[No. A-12018/21/86-MH(P)]

H.S. DHAKAALIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1987

सा. का. नि. 321 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी (समूह 'घ' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम 1976 की अनुसूची में, जहां तक उनका संबंध चोकीदार के पद से है, स्तम्भ 7 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों रखी जाएंगी, अर्थात :—

वांछनीय: (i) प्राथमिक स्कूल उत्तीर्ण

(ii) (क) होम गार्ड। सिविल रक्षा स्वयं सेवकों के रूप में तीन वर्ष की सेवा और

(ख) होम गार्ड और सिविल रक्षा में कम से कम बुनियादी और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण ।

टिप्पण: बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, में चौकीदार के पद के लिए मूल भर्ती नियम, सा.का.नि. सं. 482 तारीख 12-3-1965 के रूप में राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे प्रथम संशोधन राजपत्र में सा.का.नि. से. 1196 तारीख 30-7-1976 के रूप में प्रकाशित हुआ था सा.का.नि.सं. 1196 तारीख 30-7-1976 के रूप में राजपत्र में प्रकाशित यह दूसरा संशोधन है।

[सं.ए. 11018/6/85-(ई.पी.आई.)/आर.आर. (पी.एच.)]

जी.जी.के. नायर, अवर सचिव

New Delhi, the 13th April, 1987

G.S.R. 321.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the B. C. G. Vaccine Laboratory, Guindy (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy (Group 'D' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1976 relating to the post of 'Watchman' for the entry in column 7 the following entry shall be substituted, namely:—

"Desirable : (i) Primary School Pass.

(ii) (a) Three years service as Home Guard|Civil Defence volunteer and

(b) Training at least 'basic' and refresher courses in Home Guards and Civil Defence."

Note : The principal recruitment rules for the post of Watchman at B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy were published in the Gazette as G.S.R. No. 482 dated 12-3-1965. The first amendment was published in the Gazette as G.S.R. No. 1196 dated 30-7-1976. This is second amendment in the Gazette published as G.S.R. No. 1196 dated 30-7-1976.

[No. A. 11018|6|85-(EPI)|RR|PH]

G. G. K. NAIR, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1987

सा. का. नि. 322:--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ रेडियोग्राफर (समूह "ग" पद) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :--उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ रेडियोग्राफर	4 (चार) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननु-सचिवीय	425-15-500-द. रो.-15-560-20-700 रुपये	अचयन	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा।
11	12
प्रोन्नति द्वारा	ऐसे रेडियोग्राफरों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने अपनी सेवा में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परा... किया जाएगा।
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. ज्येष्ठ सर्जन/ज्येष्ठ फिजीशियन—अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष—सदस्य 3. उप चिकित्सा अधीक्षक—सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. ए.-12018/3/86—एम. एच. (ए...

New Delhi, the 13th April, 1987

G.S.R. 322.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby mak... the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Radiographer (Group 'C' post), in the Safdarjang Hospi... New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Safdarjang Hospital, New Delhi Group 'C' post recruitm... Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attach... thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of the recruitment, age limit, qualifications and other matte... relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to su... person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of th... rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order fo... reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of the rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provide... for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the order... issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
Senior Radiographer	4(Four) Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 425-5-500-EB-15-560-20-700.

Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
5	6	7	8
Non-selection	Not applicable	No	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of vacancy to be filled by various methods	In case of recruitmnent by promotion/deputation/transfer grades from which promotion deputation transfer to be made
9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	By promotion	Promotion from Radiographers with 5 years regular service in the grade.

If Departmental Promotion Committee exist what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Senior Surgeon/Senior Physician—Chairman. 2. Head of the concerned Department—Member 3. Deputy Medical Superintendent—Member. 4. Chief Administrative Officer—Member	Not applicable

[No. A-12018/31/86-MH(H)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1987

सा.का.नि. 323.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मेरठ, कानपुर, नागपुर, कलकत्ता (सहायक भण्डार अधीक्षक) भर्ती नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना इलाहाबाद, अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नागपुर, पटना, और पुणे (सहायक भण्डार अधीक्षक) भर्ती संशोधन नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मेरठ, कानपुर, नागपुर, कलकत्ता (सहायक भण्डार अधीक्षक) भर्ती नियम, 1974 में :—

(क) उद्देशिका में "मेरठ/कानपुर/नागपुर/कलकत्ता, शब्दों के स्थान पर, "इलाहाबाद, अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नागपुर, पटना और पुणे" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7
सहायक भण्डार अधीक्षक	*केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद, बंगलौर, अहमदाबाद, मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर,	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	425-15-560-द.रो-20-640-रुपये	अचयन	लागू नहीं होता	नहीं